

प्रेषक,

आयुक्त,  
आगरा मण्डल,  
आगरा

सेवामें,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्  
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र  
प्रीति विहार, नई दिल्ली

पत्रांक/एस0टी0/एन0ओ0सी0/

/2010-2011 दिनांक 07-09-11

विषय:- एम0पी0एस0एम0 ग्रेस कान्वेन्ट स्कूल, गणेशरा, मथुरा को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या: 2762/15-13-91-4(46)/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 एवं राजाज्ञा संख्या: 1916(1)/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के अनुपालन में एम0पी0एस0एम0 ग्रेस कान्वेन्ट स्कूल, गणेशरा, मथुरा को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जन जाति के मैधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

Manager  
M.P.S.M. Grace Convent School

गणेशरा स्टेडियम के सामने

मथुरा

Principal  
M.P.S.M. Grace Convent School  
गणेशरा स्टेडियम के सामने  
मथुरा

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)

आयुक्त,

आगरा मण्डल, आगरा

/2010-2011 तददिनांक

पृ०सं०/एस०टी०/एन०ओ०सी०/5425-31


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव (मा०शि०) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, मथुरा।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा।
- 5- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- प्रबन्धक, एम०पी०एस०एम० ग्रेस कॉन्वेंट स्कूल, गणेशरा, मथुरा।
- 7- गार्ड फाइल।

(अमृत अभिजात)

आयुक्त,

आगरा मण्डल, आगरा

  
Manager  
एम.पी.एस.एम. ग्रेस कॉन्वेंट स्कूल  
M.P.S.M. Grace Convent School  
गणेशरा स्टेडियम के सामने, गणेशरा  
कृष्णा नगर, मथुरा

  
प्रधानाचार्य/Principal  
एम पी एस एम ग्रेस कॉन्वेंट स्कूल  
M.P.S.M. Grace Convent School  
गणेशरा स्टेडियम के सामने, गणेशरा  
कृष्णा नगर, मथुरा